


प्रिया

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-36/2025 76 /पटना, दिनांक- 30.1.26

श्रीमती शिप्रा चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पिपरा, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 (A) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रथम संतान की देखभाल हेतु दिनांक 28.11.2025 से 26.05.2026 तक कुल 180 दिनों के उपभोग किये जा रहे अवकाश अवधि को शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृति के उपरांत श्रीमती शिप्रा चौधरी के लेखा में कुल 550 दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष बचेगा।
3. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती शिप्रा चौधरी, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-36/2025

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



28/01/26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-36/2025 1224

/पटना, दिनांक-30.1.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-04, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/श्रीमती शिप्रा चौधरी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पिपरा, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/01/26

सरकार के अपर सचिव

